

राजस्थान सरकार  
गृह (घुप-10) विभाग

क्रमांक: प. 24(15)(2)विविध/अभि./22/पार्ट-1

जयपुर दिनांक-27.02.2024

आदेश

अभियोजन विभाग के मंत्रालयिक संवर्ग की स्वीकृत कैडर स्ट्रैथ का पुनर्गठन दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में वित्त (व्यय) विभाग की अशा.टीप.सं. क्रमांक एफ.डी./ई-2/कार्मिक(5)/2023-24 दिनांक 04.10.23 एवं दिनांक 15.02.24 के अनुसरण में निम्नानुसार किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	पदनाम	वित्त विभाग की अ.शा. टीप दिनांक 04.10.2023 के मापदण्ड अनुसार संशोधित केडर स्ट्रेथ संख्या
1.	संस्थापन अधिकारी (6000, L-15)	14
2.	प्रशासनिक अधिकारी (4800, L-12)	44
3.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (4200, L-11)	101
4.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (3600, L-10)	191
5.	वरिष्ठ सहायक (2800, L-8)	272
6.	कनिष्ठ सहायक (2400, L-5)	502
	योग	1124

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-4) विभाग द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति आई.डी. संख्या 182400257 दिनांक 26.02.2024 के अनुसरण में जारी की जाती है। मंत्रालयिक संवर्ग में उपर्युक्तानुसार सृजित पदों से पूर्व में ही किसी पद पर अधिक कार्मिक कार्यरत है, तो सृजित पदों के अतिरिक्त पदों को अस्थाई रूप से सृजित माना जायेगा तथा जैसे-जैसे पदोन्नति/सेवानिवृत्ति से पद रिक्त होंगे, अस्थाई रूप से सृजित पद स्वतः ही समाप्त माने जायेंगे।

उक्त केडर स्ट्रेथ पुनर्गठन आदेश जारी किये जाने की तिथि से प्रभावी माना जावेगा।

आज्ञा से

(रवि शर्मा)  
शासन सचिव, गृह (विधि)।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री गृह महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि) विभाग।
4. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग।
6. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय./अभि.।
7. समस्त संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

RajKaj Ref  
5828281



Digitally signed by Ravi Sharma  
Designation: सचिव, गृह (विधि)।  
Date: 2024.02.27 12:29:40 IST  
Reason: Approval